झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-25/01/2024

संख्या-5/आरोप-1-14/2022-20672 (HRMS)/ श्री प्रदीप कुमार दास, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1583, दिनांक 09.11.2021 द्वारा गठित आरोप पत्र एवं उक्त आरोप पत्र पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1227, दिनांक 29.03.2022 द्वारा कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री दास के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस के लाभुकों के आवास निर्माण में बार-बार निदेश एवं स्पष्टीकरण के बावजूद कार्य एवं दायित्व के प्रति लापरवाही बरतते हुए कुल 347 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाना।

(ii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवास प्लस में कुल लक्ष्य 1511 के विरूद्ध मात्र 1201 परिवारों को ही निबंधन करना।

(iii) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक लंबित आवासों को द्रुतगति से पूर्ण कराने हेतु बार-बार निदेश के बावजूद आपके द्वारा माह अक्टूबर में मात्र 30 आवास पूर्ण किया गया है जबकि लक्ष्य के विरूद्ध 297 आवास लंबित है, जिसमें से 117 आवास Delayed House के श्रेणी में आ गये हैं अर्थात इनके द्वारा आवास पूर्णता पर भी अभिरूचि नहीं ली गई।

(iv) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल 46 स्वीकृति आवास के विरूद्ध कुल 21 आवास लंबित है। जबकि एक माह में मात्र 01 आवास ही पूर्ण किया गया।

2. उक्त गठित आरोप पर श्री दास द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा अपने कार्यों और दायित्वों के प्रति लापरवाही नहीं की गयी है। निबंधन तथा प्रथम किस्त का भुगतान ससमय किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के कार्यालय से प्राप्त स्पष्टीकरण का उत्तर आवास प्लस में लाभुकों के निबंधन, मनरेगा योजनाओं के संचालन, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, टीकाकरण, अंचल के कार्यों तथा अन्य विविध कार्यों में व्यस्तता के कारण ससमय तैयार नहीं कर पाने के कारण स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जा सका, परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध निबंधन एवं प्रथम किस्त की राशि का भुगतान आदि कार्यों में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है।

3. श्री दास के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत श्री दास के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3536 दिनांक 12.06.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री दास के पत्रांक 173 दिनांक 8.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य निम्नवत् है-

(i) आरोप पत्र में गठित आरोप सं0-1 के संबंध में प्रतिवेदित है कि इस आरोप का उत्तर/स्पष्टीकरण प्रखण्ड कार्यालय, हेरहंज के पत्रांक-56 दिनांक 09.02.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को समर्पित किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 25.10.2021 को प्रथम किस्त भुगतान हेतु कुल-347 लाभुकों के शेष रहने का कारण यह था कि इस माह में निबंधन, जियों टेगिंग, स्वीकृति एवं प्रथम किस्त का भुगतान का कार्य प्रतिदिन हो रहा था। दिनांक 21.10.2021 के MIS प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.10.2021 तक 668 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 538 लाभुकों को भुगतान किया गया है।

दिनांक 25.10.2021 के MIS प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि इस तिथि को स्वीकृत आवासों की संख्या 668 से बढ़कर 885 हो गई, जिसमें गत दिनों में किया गया स्वीकृत 215 आवास भी सम्मिलित है। प्रथम किस्त की राशि भुगतान संबंधी अन्य प्रखंडों से हेरहंज प्रखण्ड का भुगतान प्रतिशतता अन्य दो प्रखण्डों से उपर था। साथ ही किसी भी प्रखण्ड में प्रथम किस्त भुगतान 100 प्रतिशत नहीं था। दिनांक 31.01.2022 के MIS प्रतिवेदन तक

1375 स्वीकृत आवासों में 1367 को प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका था। शेष मृत एवं PFMS REjected के कारण इस तिथि तक लंबित भुगतान को भी नियमतः त्रुटि निराकरण कर अगले माह में भुगतान कर दिया गया था। वर्तमान में दिनांक 02.09.2023 के MIS प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 1572 में से 1572 (100%) लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है।
उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रथम किस्त का राशि का भुगतान किसी भी वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण हेतु आवंटन प्राप्त होने के उपरांत लाभुकों का निबंधन, प्रस्तावित स्थलों को जियोटैगिंग दस्तावेजों का सत्यापन, एफटीओं निर्माण एवं प्रथम किस्त का भुगतान आदि कार्य दैनिक व नियमित कार्यो में शामिल हो जाते हैं, जो कि इनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा था। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी 25.10.2021 या कोई अन्य तिथि प्रथम किस्त के भुगतान हेतु अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित नहीं थी। इसलिए इनके स्तर से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है।

(ii) आरोप पत्र में गठित आरोप सं0-2 के संबंध में उनके द्वारा प्रखण्ड कार्यालय पत्रांक-56 दिनांक 09.02.2022 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.10.2021 तक 1511 के विरूद्ध मात्र 1201 लाभुकों का ही निबंधन करने का कारण यह था कि हेरहंज प्रखंड में कुल पाँच पंचायतों में से एक पंचायत चिरू के लाभुकों की सूची निबंधन हेतु आॅनलाइन परिलक्षित नहीं हो रहा था, जिसके संबंध में उप विकास आयुक्त, लातेहार को प्रखंड कार्यालय के पत्रांक-509 दिनांक 13.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। इसके अतिरिक्त लाभुकों के निबंधन के समय Already job Card exists दिनांक 21.10.2021 तक दिख रहा था, जिसके संबंध में प्रखंड कार्यालय के पत्रांक-738 दिनांक 21.1.2021 द्वारा उप विकास आयुक्त, लातेहार को प्रतिवेदित किया गया है।

(iii) आरोप पत्र में गठित आरोप सं0-3 के संबंध में उनके द्वारा प्रखंड कार्यालय पत्रांक-56 दिनांक 29.02.2022 द्वारा समर्पित स्पष्टीरकण में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक मात्र 297 आवास ही दिनांक 25.10.2021 तक लंबित था, उसका कारण लाभुकों द्वारा राशि किसी अन्य मद में व्यय करने/बड़े आकार का मकान बनाने/अस्थाई पलायन करना इत्यादि था। इनके द्वारा स्वयं लगातार आवास पूर्णता हेतु प्रर्यवेक्षण किया जाता रहा एवं पंयाचत स्वयंसेवकों को भी पूर्ण कराने हेतु स्पष्टीकरण किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी कारण रहा है कि जून माह के 10-15 तारीख से लेकर अक्टूबर माह के 15 तारीख तक NGT भारत सरकार के द्वारा बालू का उठाव पर प्रतिबंध रहता है और प्रखंड में आवास निमार्ण हेतु लाभुक स्थानीय बालू घाटों पर निर्भर रहते है। इसलिए इस अवधि में आवास पूर्णता की गति धीमी रहती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 में दिनांक 25.10.2021 हेरहंज प्रखण्ड का आवास पूर्णता प्रतिशत 83.57 है, जो लातेहार जिला में द्वितीय स्थान पर था। इसी प्रकार दिनांक 04.09.2023 के प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 में आवास का प्रतिशत 97.57 है, जो लातेहार जिला में अन्य प्रखंडों से सबसे उपर है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लंबित आवासों की पूर्णता में किसी तरह की लापरवाही नहीं की गई है।
(iv) आरोप पत्र में गठित आरोप सं0-4 के संबंध में उनके द्वारा प्रखंड कार्यालय पत्रांक-56 दिनांक 09.02.2022 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का पर्यवेक्षण भी लगातार किया जाता रहा है और पूर्ण भी कराया गया है। इन्होंने अपने कार्यो एवं दायित्वों के प्रति कोई लापरवाही नहीं की गई है। निबंधन तथा प्रथम किस्त की राशि का भुगतान ससमय किया गया है।

4. श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 21.10.2021 तक 668 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 538 लाभुकों का भुगतान किया जा चुका था। उक्त आवासों का निबंधन, जीयो टैगिंग, स्वीकृति एवं प्रथम किस्त का भुगतान प्रतिदिन किया जा रहा था। दिनांक 02.09.2023 के MIS प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 में कुल स्वीकृत 1572 में से सभी 1572 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है।

इसी तरह दिनांक 25.10.2021 तक 1511 लाभुकों के विरूद्ध मात्र 1201 लाभुकों का निबंधन करने के संबंध में प्रतिवेदित है कि कुल 05 पंचायतों में से एक पंचायत चीरू के लाभुकों की सूची आॅनलाईन दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके संबंध में उनके द्वारा उप विकास आयुक्त को भी पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है। लम्बित आवासों को पूर्ण करने के संबंध में प्रतिवेदित है कि दिनांक 25.10.2021 तक हेरहंज प्रखण्ड का आवास पूर्णतः प्रतिशत 83.57 है, जो लातेहार जिला में द्वितीय स्थान पर था।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित आरोपी पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र गठन के पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत इसके निबंधन, प्रथम किस्त के भुगतान एवं लम्बित आवासों को पूर्ण करने में अपेक्षित प्रगति की गयी है। परन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आरोप पत्र के गठन के समय तक उक्त योजना के उक्त सभी मापदंडों में प्रखण्ड हेरहंज की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। श्री दास के विरूद्ध किसी प्रकार की वित्तीय अनिमियतता संबंधी आरोप प्रतिवेदित नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रदीप कुमार दास, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए पूर्व में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् प्रस्तावित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक” को संशोधित करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रदीप

कुमार दास, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	**2**	**3**
1	PRADEEP KUMAR DAS 110001052029	श्री प्रदीप कुमार दास, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए पूर्व में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् प्रस्तावित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" को संशोधित करते हुए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(रंजीत कुमार लाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

ज्ञापांक-5/आरोप-1-14/2022-20672 (HRMS)/राँची दिनांक-25/01/2024

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-14/2022-20672 (HRMS)/राँची दिनांक-25/01/2024

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, लातेहार/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-3 एवं 4/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5/विभागीय संयुक्त, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-6/श्री प्रदीप कुमार दास, झा0प्र0से0 (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- PRADEEP KISHOR LAKRA - (110070953779)